



## स्पेशल रपॉर्ट: राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत

राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत (Directive Principles of State Policy- DPSP) का उद्देश्य जनता के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

भारतीय संविधान के निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि एक स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद, देश व्यापक गरीबी, भुखमरी और गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से बचा हुआ था।

- संविधान के निर्माताओं ने महसूस किया कि इन समस्याओं से निपटने के लिये देश के शासन के लिये विशिष्ट नीति निर्देश, दिशा-निर्देश या नरिदेश आवश्यक थे।

## राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत (DPSP) क्या हैं?

संविधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में DPSP शामिल है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नरिदेशक सदिधांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान में नरिदेशक सदिधांत आयरिश संविधान से लिये गए हैं। हालाँकि आयरिश ने स्वयं स्पेन के संविधान से यह विचार लिया था।
- ऐसी नीतियों के विचार को मानव अधिकारों की घोषणा और अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणाओं के साथ-साथ सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा में देखा जा सकता है।
- वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में नरिदेश के साधन के रूप में इसी तरह के दिशा-निर्देश प्रदान किये गए थे।

उद्देश्य:

- नियंत्रण और संतुलन:** विधानमंडलों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे DPSP के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिये, नरिदेशक सदिधांत वे आदर्श हैं, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक न्याय के उद्देश्य से, जो संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय राज्य को प्रयास करना चाहिये।
  - वे इन विचारों के अनुरूप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये भारत के विधायिकाओं, अधिकारियों और प्रशासकों के लिये एक आचार संहिता निर्धारित करते हैं।
- कानूनी कार्रवाई और सरकारी नीतियाँ:** नरिदेशक सदिधांत लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को शामिल करते हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों को विधि और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
- सामाजिक न्याय का दर्शन:** नरिदेशक सदिधांत संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। वे भारत के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालाँकि ये किसी भी अदालत द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फरि भी वे देश में शासन हेतु मौलिक अवधारणा प्रदान करते हैं।

## वभिन्न नरिदेशक सदिधांत क्या हैं?

नरिदेशक सदिधांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

### 1. समाजवादी सदिधांतों पर आधारित:

- अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय की स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 39:** राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में नरिदेशित करेगा

- सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
  - भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नयित्करण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि वह सामान्य भलाई हेतु उपयोग में आ सके।
  - राज्य को कुछ हाथों में धन के संकेन्द्रण को बचाना चाहिये
  - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान काम के लिये समान वेतन
  - श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा
  - बाल्यावस्था और कशोरवस्था का शोषण न हो
- **अनुच्छेद 41:** यह कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और वकिलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में बात करता है।
  - **अनुच्छेद 42:** राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
  - **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी श्रमिकों को एक जीवन नरिवाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा
  - **अनुच्छेद 43A:** राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा
  - **अनुच्छेद 47:** सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना

## 2. गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर:

- **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 43B:** यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नयित्करण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
- **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा
- **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये प्रयास करेगा।

## 3. उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित:

- **अनुच्छेद 44:** राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 45:** यह छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिये बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 48:** यह आधुनिक और वैज्ञानिक तरज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 48A:** इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा करना है।
- **अनुच्छेद 49:** राज्य हर स्मारक, कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थान की रक्षा/सुरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 51:** राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है राज्य प्रयास करेगा कि,
  - राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें।
  - अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे।
  - मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के नपिटारे को प्रोत्साहित करे।

## संबंधित संवधानिक संशोधन क्या हैं?

DPSP में संशोधन के लिये संवधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। स्वतंत्रता के बाद संवधान में कई संशोधन हुए हैं और उनमें से कुछ इन नरिदेशों से संबंधित हैं।

- **वर्ष 1976 का 42वाँ संशोधन:** इसने नए नरिदेशों को जोड़कर संवधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किये, जिसमें शामिल है:
  - **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को नशुलक कानूनी सहायता प्रदान करना
  - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिये
  - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास।
- **वर्ष 1978 का 44वाँ संशोधन:** इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को सम्मिलित किया जो यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करेगा।
  - इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।
- **वर्ष 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम:** इसने अनुच्छेद 45 की वषिय वस्तु को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

## मौलिक अधिकार और DPSP में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार (FRs) और नरिदेशक सिद्धांत दोनों भारतीय संवधान की आवश्यक विशेषताएँ हैं, लेकिन उनके बीच काफी समय से लगातार संघर्ष होता रहा है।

- FRs कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन DPSP कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति, यदि उसके FRs का उल्लंघन किया जाता है, हो न्यायालय में अपील कर सकता है लेकिन यदि सरकार नरिदेशक सदिधांतों को लागू नहीं करती है तो लोग न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं।
- FRs प्रकृति में नकारात्मक या नषिधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर अंकुश लगाते हैं इसके विपरीत नरिदेशक सदिधांत सकारात्मक हैं क्योंकि वे कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य के कर्तव्य की घोषणा करते हैं।
- FRs ने भारत में उदार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की हालांकि नरिदेशक सदिधांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।
- FRs व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं जबकि DPSP सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है।

## DPSP और FRs से संबंधित विभिन्न नरिणय क्या हैं?

इस बात पर लंबे समय से बहस चल रही है कि FRs और नरिदेशक सदिधांतों के बीच संघर्ष के मामले में संवैधानिक प्रावधानों के दो वर्गों में से कौनसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चार अदालती फैसलों की मदद से मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संबंध को डिकोड किया गया है।

- **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि FRs और नरिदेशक सदिधांतों के बीच कौनसे भी तरह के विवाद के मामले में, FRs प्रबल होगा। इसने घोषणा की कि नरिदेशक सदिधांतों को FRs के सहायक के रूप में पालन करना और चलाना है।
  - इसने यह भी फैसला सुनाया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि नरिदेशक सदिधांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा FRs में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि संसद संविधान के कौनसे भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है इस प्रकार संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
- **मनिरवा मलिस बनाम भारत संघ (वर्ष 1980):**
  - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के कौनसे भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह भारतीय संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है।

## DPSP से जुड़े अधिनियम और संशोधन क्या हैं?

- **भूमि सुधार:** लगभग सभी राज्यों ने कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थितियों में सुधार के लिये भूमि सुधार कानून पारित किये हैं। इन उपायों में शामिल हैं:
  - ज़मींदारों, जागीरदारों, इनामदारों आदि जैसे बचिौलियों का उन्मूलन
  - करियाेदारी सुधार जैसे कारयकाल की सुरक्षा, उचित करिए आदि
  - भूमि जोतों पर सीलिंग का अधरिएपण
  - भूमिहीन मज़दूरों के बीच अधरिएष भूमि का वतिएरण
  - सहकारी खेती
- **श्रम सुधार:** समाज के श्रमिक वर्ग के हतियों की रक्षा के लिये नमिनलखित अधिनियम बनाए गए।
  - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (वर्ष 1948), मज़दूरी पर संहति, 2020
  - अनुबंध श्रम वनियमन और उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1970)
  - बाल श्रम नषिध और वनियमन अधिनियम (वर्ष 1986)
  - वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर बाल और कशिएर श्रम नषिध और वनियमन अधिनियम, 1986 कर दिया गया।
  - बंधुआ मज़दूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1976)
  - खान और खनजि (वकिएस और वनियमन) अधिनियम, 1957
  - महिला श्रमकियों के हतियों की रक्षा के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम (वर्ष 1961) और समान पारश्रमिक अधिनियम (वर्ष 1976) बनाए गए हैं।
- **पंचायती राज व्यवस्था:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायतियों को पूरा किया।
  - देश के लगभग सभी भागों में ग्राम, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर त्रसितरीय 'पंचायती राज व्यवस्था' की शुरुआत की गई।
- **कुटीर उद्योग:** अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, काँयर बोर्ड आदि जैसे कई बोर्ड स्थापित किये हैं, जो कुटीर उद्योगों वतित और वपिणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
- **शकिएष:** सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिये गए मुफ्त और अनविएर्य शकिएष से संबंधित प्रावधानों को लागू किया है।
  - 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रसुत और बाद में शकिएष का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया, प्राथमिक शकिएष को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- **ग्रामीण कषेत्र वकिएस:** सामुदायिक वकिएस कार्यक्रम (वर्ष 1952), एकीकृत ग्रामीण वकिएस कार्यक्रम (वर्ष 1978-79) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा- वर्ष 2006) जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण कषेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये

शुरू किये गए थे। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में नरिदषिट है।

- **स्वास्थ्य:** भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जमिमेदारी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन (NRHM) जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजति योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
- **पर्यावरण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986 को क्रमशः वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिये अधनियमति कथिया गया है।
  - जल और वायु प्रदूषण नयित्रण अधनियमों ने केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड की स्थापना के लिये प्रावधान कथिया है।
- **वशिसत संरक्षण:** राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिये प्राचीन और ऐतहिसकि स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधनियम (वर्ष 1958) को अधनियमति कथिया गया है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

????????????????

Q1. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? (वर्ष 2020)

- (A) राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत
- (B) मौलिक अधिकार
- (C) प्रस्तावना
- (D) सातवी अनुसूची

उत्तर: (A)

Q2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के नमिनलखिति भागों में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (वर्ष 1948) के सदिधांतों और प्रावधानों को दर्शाता है/प्रतबिबिति करता है? (वर्ष 2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

Q3. भारत के संविधान के भाग IV में नहिति प्रावधानों के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2020)

1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
2. वे कसि भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
3. इस भाग में नरिधारति सदिधांत राज्य द्वारा कानूनों के नरिमाण को प्रभावति करने के लिये हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) केवल 1 और 3
- (D) केवल 2 और 3

उत्तर: (D)

????????????????

Q1. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही नहिति है और इसके आवश्यक पहलुओं पर स्थापति है। प्रासंगिक न्यायिक नरिणियों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सदिधांत की व्याख्या कीजिए। (वर्ष 2021)

Q2. "संवधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमिति शक्ति है और इसे पूरण शक्ति में वसितारति नहीं कथि जा सकता है।" इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजयि कथि संसद संवधान के अनुच्छेद 368 के अधीन अपनी संशोधन शक्ति का वसितार कर संवधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (वर्ष 2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-report-directive-principles-of-state-policy>

